संख्या-447/अड़तीस-5-12-67सम/07टीसी।

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु अंतरिम दिशा-निर्देश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनॉक 4 मई, 2012

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-1512/अड़तीस-5-11-67सम/07टी0सी0, दिनांक 05.08.2011 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वर्ष 2012-13 में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अभी दिशा-निर्देश जारी किये जाने हैं, किन्तु प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के सूखने/जलस्तर नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की सूचनायें मिल रही हैं। अतः विषय की गंभीरता व तात्कालिकता को देखते हुए अंतरिम व्यवस्था किया जाना आवश्यक हो गया है।

2. वर्ष 2012-13 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की राज्य की कार्य योजना में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति विकास खण्ड में 100 की दर से कुल 82100 रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अनुमोदन प्रदान किया गया। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब तक प्रदेश स्तर से वर्ष 2012-13 में पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये जाते, तब तक उपरोक्त वर्णित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 100

हैण्डपम्प की दर से रिबोर/नये हैण्डपम्प सर्वोच्च प्राथमिकता पर अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करें।

3 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हैण्डपम्पो की सीमित संख्या को देखते हुए उन क्षेत्रो को प्राथमिकता दी जाय जहाँ पर जलस्तर नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है।

भवदीय,

4.5.2012

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या अ3(1)/अड़तीस-5-12-67सम/07टीसी-1, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/नगर विकास/पंचायती राज एवं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को समस्त जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।